

## अनुसूची- II

[विनियम 9(2) देखें]

अनुशासन तथा याचिका के उद्देश्यार्थ सक्षम प्राधिकारी

कर्मचारियों का वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी तथा दंड की प्रकृति	अपीलीय प्राधिकारी	पुनः याचिका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समूह 'क'	बोर्ड	बोर्ड - सभी दंड	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	कृषि एवं किसान कल्याण के प्रभारी मंत्री
		#मुख्य कार्यकारी अधिकारी - लघु दंड [केंद्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (1) से (iv)]	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
समूह 'ख'	बोर्ड	बोर्ड - सभी दंड	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	कृषि एवं किसान कल्याण के प्रभारी मंत्री
		#मुख्य कार्यकारी अधिकारी - लघु दंड [केंद्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (1) से (iv)]	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
समूह 'ग'	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सभी दंड	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
		सचिव, नारियल विकास बोर्ड- लघु दंड [केंद्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (1) से (iv)]	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बोर्ड
समूह 'घ'	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सभी दंड	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
		सचिव, नारियल विकास बोर्ड- लघु दंड [केंद्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (1) से (iv)]	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बोर्ड

[फा.सं.14-14/89-बाग VI और फा.सं.273/91-प्रशासन/ ना.वि.बोर्ड]  
एच.पी. सिंह, अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड

#भारत के राजपत्र, भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) दिनांक 27.05.2022 में प्रकाशित का.आ.2430(अ) दिनांक 26.05.2022 के अनुसार संशोधित।